न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2022-230(GCMS2022-380) RTA225 Paresh Vs Mahendra Kumar etc

परेश पुत्र मिश्रीलाल जाति ओसवाल (देशलहरा)
निवासी पण्डितजी की ढाणी, हाल 504 पांचवा माला,
पगराव बिल्डिंग, एस.वी. रोड, गोरेगांव वेस्ट
मुंम्बई

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

1. महेन्द्र कुमार पुत्र पुखराज जाति ओसवाल
   निवासी पण्डितजी की ढाणी,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार तिंवरी, जिला जोधपुर
3. सब-रजिस्ट्रार तिंवरी
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर ओसियां दिनांक 04 नवम्बर 2020 राजस्व प्रकरण संख्या 213/2019 महेन्द्र कुमार बनाम परेश इत्यादि

उपस्थित-
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री रुघाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दो

नि र्ण य

दिनांक : 30 दिसम्बर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 213/2019 महेन्द्र कुमार बनाम पप्पूराम में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 नवम्बर 2020 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 30 अगस्त 2022 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपीलाण्ट की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम मय शपथपत्र अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत पेश किया गया।

प्रकरण से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. संख्या एक की ओर से ग्राम उम्मेदनगर की सरहद में स्थित आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा संख्या 109/2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा बाबत पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद के दौरान एक प्रार्थनापत्र बाबत स्थगन आदेश पेश किया। जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 नवम्बर 2020 पारित करते हुए उक्त प्रार्थनापत्र पक्षकारान की सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए ताफैसला दावा आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा एवं आराजी खसरा संख्या 109/2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा उम्मेदनगर के संबंध में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील-मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना एवं अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अपीलाण्ट-अप्रार्थी को न तो कोई नोटिस प्राप्त हुआ और न ही विचारण न्यायालय में उसके द्वारा किसी अधिवक्ता को पैरवी हेतु

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकृत किया गया है। अधिवक्ता श्री राजेश खीचड एक अन्य दीवानी वाद में अपीलाण्ट के अधिवक्ता है, तथा एक राजस्व अपील में भी उन्होनें अपीलाण्ट की ओर से पैरवी की तब उन्होंने अपीलाण्ट से वकालतनामा पर हस्ताक्षर करवा लिये थे। उन्होंने अपने पास पडे वकालतनामा का दुरूप्योग कर वर्तमान मामले में अपीलाण्ट को बिना पूछे वकालतनामा पेश कर दिया। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल दावा चलने योग्य ही नहीं है, अपीलाण्ट व रेस्पो. की आराजियात अलग-अलग है, जो अलग-अलग विकय विलेखों के जरिये खरीद की गयी है, जिनके अनुसार ही राजस्व नक्शें में तरमीम की गयी है तथा मौके पर दोनों पक्षों का अलग-अलग कब्जा है। मात्र अपीलण्ट को हैरान व परेशान करने की नीयत से प्रार्थी-रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय में कार्यवाही की जा रही है। अपीलाण्ट आराजी खसरा संख्या 109/2 का रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है जिसके खिलाफ कानूनन किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलाण्ट मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक ने जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलाण्ट के दादा एवं रेस्पो. संख्या एक के पिता पुखराज द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार में रहते हुए अपीलाण्ट के पिता व रेस्पो. संख्या एक के भाई मिश्रीलाल के नाम से कय की गयी थी जिसका मौके पर एवं नक्शा ट्रेस में कभी भी विभाजन नहीं किया गया। उक्त खसरान की सम्पूर्ण भूमि मौके पर एक ही चक के रूप में स्थित है तथा चारो तरफ तारबंदी की हुई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट की ओर से केवयट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र पेश कर अधिवक्ता उपस्थित हुए है और स्थगन आदेश जारी किये जाने बाबत कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है, आदेशिका के हाशिये पर उनके हस्ताक्षर भी है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद बाधित एवं गुणावगुण पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट परेश पुत्र मिश्रीलाल की ओर से महेन्द्र कुमार पुत्र पुखराज के खिलाफ दिनांक 01 जुलाई 2019 को केवियट प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 109/2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा उम्मेदनगर के संबंध में पेश किया गया। जाहिर है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट जरिये अधिवक्ता बतौर केवियेटर उपस्थित हुआ है। विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 03 जुलाई 2019 को रेस्पो. महेन्द्र कुमार की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष स्थगन प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा स्वयं की तथा आराजी खसरा संख्या 109/2 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा अप्रार्थी-अपीलाण्ट की खातेदारी में दर्ज होना जाहिर करते हुए पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09 जुलाई 2019 को दर्ज किया जाकर आराजी खसरा संख्या 109 रकबा 37 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा उम्मेदनगर बाबत अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। विचारण न्यायालय की पत्रावली में उक्त आदेशिका पर "प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर स्थगन जारी किया जाता है तो कोई आपत्ति

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं है" अंकित किया जाकर (सम्भवतः अधिवक्ता अप्रार्थी-अपीलाण्ट) के हस्ताक्षर भी है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 नवम्बर 2020 की आदेशिका के हाशिए पर भी अनापत्ति अंकित कर हस्ताक्षर किये हुए है। अतः वर्तमान अपील स्तर पर अधिवक्ता-अपीलाण्ट का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधिवक्ता श्री राजेश खीचड द्वारा तथाकथित वकालतनामा के दुरुपयोग किये जाने बाबत अधिवक्ता-अपीलाण्ट द्वारा किया गया कथन निराधार एवं मिथ्या प्रतीत होता है क्योंकि इस संबंध में अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड के खिलाफ कोई कार्यवाही किये जाने संबंधित प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

इसके उपरान्त भी न्यायहित में गुणावगुण पर विचार किया जाने पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजियात के संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखने हेतु पक्षकारान को पाबन्द किया गया है। जिससे अपीलाण्ट अथवा अन्य किसी पक्षकार को कोई अपूरणीय क्षति अथवा गम्भीर असुविधा होने की कतई सम्भावना नजर नहीं आती है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि वादग्रस्त आराजियात की वाद प्रस्तुत किये जाने के समय की स्थिति को वाद के निस्तारण तक संरक्षित किया जावे ताकि पक्षकारान के मध्य अनावश्यक तनाव एवं विवाद नहीं हो और न्याय के मूल बिन्दु तक पहुँचने में किसी प्रकार की जटिलता उत्पन्न नहीं हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 नवम्बर 2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/12/2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर